संख्या-88/183/84-1-14-18बामा/2012टीसी

प्रेषक,

कल्लू प्रसाद द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 26 फरवरी, 2014

विषय- विधिक माप विज्ञान विभाग में कार्यरत् कर्मचारियों के वेतन आदि हेतु आवश्यक धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-554/निविमावि-लेखा-7(25)मॉग/2013-14, दिनॉक 14 फरवरी, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान विभाग के कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 1,31,00,000/- (एक करोड इकतीस लाख रूपये) मात्र को पुनर्विनियोग कर व्यय करने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्ष 2075-विविध सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03- उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य वेतन एवं लेखाशीर्ष 2075-विविध सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04- उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा-31-सहायता अनुदान-सामान्य वेतन एवं लेखाशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान-01-वेतन मद में हो रही बचतों से संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग कर वहन की जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय के अन्तर्गत सुसंगत मदों में संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत व्यय की जायेगी।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का अन्य मदों में व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7/257/दस-2014, दिनॉक 24 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-88/183(1)/84-1-14 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण् निगम/उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
10- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन

(संदर्भः- बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे अनुदेशों को भली- भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-21 - खाद्य तथा रसद विभाग

वित्तीय वर्ष 2013-14

(भारत सरकार द्वारा प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु आबंटन का प्रस्ताव)

(धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान (विनियोग) (2-5)
1	2	3	4	5	6
2075-विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	4615	900	900	900	-
2075-विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय-04-उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	86357	10200	8600	8600	1600
3456-सिविलपूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान-01-वेतन	135500	4200	3600	3600	600
योग-	226472	15300	13100	13100	2200

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-01-वेतन	112699	118199	7000	7000	7000
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-03-मंहगाई भत्ता	93540	96740	5000	5000	5000
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-	13524	14024	800	800	800

http://snatanadesh.up.nic.in

06-अन्य भत्ते 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-17-किराया उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व	3000	3300	300	300	300
योग-	222763	232263	13100	13100	13100

(1) स्तम्भ-3 में बचतों का कारण संबंधित मदों में पदों का रिक्त होना है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित मद में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित धनराशि कर्मचारियों के वेतन आदि में व्यय हेतु अपेक्षित है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
अनु सचिव।
खाद्य एवं रसद विभाग।

संख्या- आर0ई0 346/ई-7- 257/दस-2014 दिनॉक 24 फरवरी, 2014
सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(अरूण कुमार दुबे)
अनु सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-88/183(2)/84-1-13-18बामा/2012 दिनॉक 26 फरवरी, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उ0प्र0, लखनऊ।
2- निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in